

बिहार सरकार
जिला अभियंता का कार्यालय, जिला परिषद, बेगूसराय।
E-mail Id – zilaparishadbegusarai@gmail.com
(केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर
अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 03(R1)/2023-2024

1	विज्ञापनदाता का नाम	जिला अभियंता, जिला परिषद, बेगूसराय।
2	विज्ञापन निर्गत करने की तिथि	31.08.2024
3	परिमाण विपत्र प्राप्त/निविदा कागजात डाउनलोड करने की अवधि	11.09.2024 से 18.09.2024 के अपराह्न 5:00 बजे तक (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
4	प्री-बीड मीटिंग का स्थान, तिथि एवं समय	जिला अभियंता, जिला परिषद, बेगूसराय के कार्यालय में दिनांक- 13.09.2024 के अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक
5	संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 19.09.2024 के अपराह्न 5:00 बजे तक (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
6	अग्रघन राशि /परिमाण विपत्र के मूल्य का ऑनलाईन चलान मूल में तथा शपथ पत्र इत्यादि कागजात कार्यालय में जमा करने का अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक – 20.09.2024, के अपराह्न 05.00 बजे तक कार्यालय- 1. जिला अभियंता, जिला परिषद, बेगूसराय। / 2. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बेगूसराय। / 3. उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, विकास भवन, समाहरणालय, बेगूसराय।
7	तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक – 21.09.2024, के पूर्वाह्न 04.00 बजे (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
8	वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय	तकनीकी बीड निष्पादन के पश्चात
9	निविदा की वैधता की अवधि	120 दिन

10. कार्य का विवरण :-

गुप सं०	जि०प० क्षेत्र संख्या	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	योजनाओं का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपये में)	अग्रघन की राशि (रुपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य अप्रत्यर्पणीय (रुपये में)	बेल्ड्रॉन को देय Bid Processing Fee (Through online Payment) अप्रत्यर्पणीय (रुपये में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8		9
8	10	चेरिया बरियारपुर	मंझौल-02	वार्ड सं०-01 में छोटे कुमार सिंह के खेत संजय झा घर तक नाला एवं ढक्कन निर्माण कार्य। (Tied Grant)	16,28,900	32,600	5,000	590	03 माह
10	12	बखरी	चकहमीद	प्रभु सदा के घर से लेकर सुंदर सदा घर होते हुए रामप्रवेश सदा घर तक वार्ड सं०-12 में ढक्कन सहित नाला का निर्माण कार्य। (Tied Grant)	16,36,700	32,800	5,000	590	03 माह

- निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जाएगा। ई-मेल से संबंधित जानकारी सहायता हेतु eproc2support@bihar.gov.in एवं Toll Free no.-18005726571, तथा EProc 2.0Help Desk Address ..mjunction services limited RJ complex, 2ndFloor, Canra Bank Campus, Khajpkura, Ashiana Road, P.S.& Shastri Ngar Patna 800014, Bihar से प्राप्त किया जा सकता है।
- ई-निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। वेबसाईट पर आव यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। निबंधन से उन्हें user id तथा password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificate With Encryption) प्राप्त करना होगा। user id, password, DSC इंटरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
- निविदा कागजात भरकर वेबसाईट पर ही जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा खुलने की जानकारी वेबसाईट से ही प्राप्त होगी। निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।
- बीड प्रोसेसिंग फीस+सर्विस टैक्स (अप्रत्यर्पणीय) का भुगतान संवेदक अनिवार्य रूप से ऑनलाईन विधि यथा Internet Payment Gateway(Credit Cards) अथवा Neft/RTGS/CHALLAN के माध्यम से B.S.E.D.C. के Bid-Processing Fee Account में Credit करेंगे। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
- निविदा डालने के समय सभी प्रमाण-पत्रों की स्व०-हस्ताक्षरित प्रति निविदा कागजातों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
- निविदा कागजातों का मूल्य Internet Payment Gateway(Credit/Debit Card/NetBanking) के माध्यम से (जो किसी भी स्थिति में लौटायी नहीं जायेगी) के रूप में होगी।
- निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली प्रत्येक सामग्री के गुणवत्ता की सम्पुष्टि इन्जीनियर इन चार्ज से कराने के बाद ही उसका उपयोग संबंधित कार्यों में करना होगा।

4

18. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।
19. वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने से बंचित होंगे जो किसी भी विभाग से **Debar/ Black Listed** हैं।
20. संवेदकों का कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति में पूर्ण रूपेन संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
21. बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग की अभिसूचना संख्या 13589(S) पटना, दिनांक- 13.12.2011 की कंडिका (4) के उप कंडिका (च) में निहित प्रावधान के अनुसार रुपये 25.00 लाख तक के कार्यों के निविदा में श्रेणी-4 में बेगूसराय जिलान्तर्गत निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे।
22. PWD के कंडिका- 159(क)(ii) के आलोक में किसी एक निविदादाता की एक समय में अधिकतम तीन योजनाओं या योजनायें जिनकी कुल लागत- 25.00 (पच्चीस) लाख रुपये से अधिक न हो, की सीमा तक की योजनायें के लिए कार्य आवंटित की जा सकेगी।
23. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत निर्माण श्रमिकों के लिए सेस के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा।
24. डिफेक्ट एवं लाईबिलिटी पीरियड कार्य समाप्ति के तिथि के बाद से 06 माह का होगा।
25. सक्षम पदाधिकारी से दर अनुमोदित होने के 14 दिनों अंदर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।
26. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा। इसमें संवेदक का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
27. प्राक्कलित राशि घट बढ़ सकती है, उसी के अनुरूप अग्रधन देय होगा।

28. **अग्रधन :-**

e-Proc 2.0 प्रणाली के तहत मात्र online विधि से समर्पित अग्रधन (EMD) ही स्वीकार किये जायेंगे। यदि किसी निविदाकार के द्वारा भौतिक रूप से EMD जमा करना आवश्यक हो तो मात्र बैंक गारंटी (BG) ही स्वीकार किया जायेगा। संवेदक निविदा कागजात के साथ बैंक गारंटी (BG) को Scan कर अपलोड करेंगे तथा भौतिक रूप से संबंधित कार्यालय में जमा करेंगे। e-Proc 2.0 में परिमाण विपत्र की राशि Internet Payment Gateway/Challan के माध्यम से ही लिया जाना है। अगर अग्रधन की राशि B.G. के रूप में दी जाती है तो B.G. (District Engineer, Zila Parishad, Begusarai) के पदनाम से प्रतिज्ञापित(Pledged) हो जो भारतीय Schedule बैंक/भारतीय राष्ट्रीय बैंक जो बिहार राज्य में अवस्थित हो बैंक से निर्गत होना आवश्यक है। इस प्रणाली के तहत बैंक गारंटी (BG) का Online Verification किया जाएगा। सशर्त बैंक गारंटी स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा के विहित प्रपत्र के अनुरूप ही बैंक गारंटी स्वीकार किया जायेगा।

(क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी, जो न्यूनतम 500 के गुणक में होगी।

(ख) अग्रधन की राशि मूल रूप में जिला अभियंता, जिला परिषद्, बेगूसराय के पदनाम से निर्धारित कार्यालय में निर्धारित अवधि तक जमा करना अनिवार्य होगा।

29. निविदा के तकनिकी बीड में निम्नांकित कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा :-

- (a) कार्य से सम्बंधित समुचित रूप में अग्रधन की राशि अनिवार्य होगा।
- (b) संवेदक का अपना अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (स्वहस्ताक्षरित) अनिवार्य होगा।
- (c) साझेदार फर्म/कम्पनी के मामलों में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की छायाप्रति (स्वहस्ताक्षरित)।
- (d) जी0 एस0 टी0 निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (स्वहस्ताक्षरित)।
- (e) पैन कार्ड की छायाप्रति (स्वहस्ताक्षरित)।
- (f) आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वहस्ताक्षरित)।
- (g) जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा निर्गत अद्यतन आचरण प्रमाण-पत्र।
- (h) चेकलिस्ट भर कर हस्ताक्षर कर के जमा करना होगा।
- (i) **Labour License** की छायाप्रति (एकरारनामा के समय)।
- (j) **NIT** के अनुसार अन्य कागजात की छायाप्रति।

30. घोषणा प्रमाण-पत्र (मूल में) का भापथ-पत्र निम्न प्रारूप में देना अनिवार्य होगा :-

मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम)सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री

.....भापथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि-

(क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी प्रकार/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा **Debar, Blacklisted** एवं विगत वित्तीय वर्ष के अन्दर विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।

(ग)मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता, पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं है।

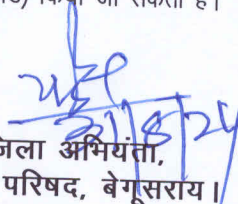
31. उपर्युक्त कंडिका क, ख, ग में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका घ में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जाएगा तथा उनके उपर विधि सम्मत दण्ड संवेदक निबंधन को काली सूची में दर्ज करने एवं प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे। संवेदकों को ठेकेदारी निबंधन नियामवली-2007 के तहत काली सूची डिबार(Debar) तथा निलंबन इत्यादि किया जा सकता है।

32. **प्रतिशत दर निविदा**

(क) निविदा दर की न्यूनतम सीमा के संबंध में पथ निर्माण विभाग, पटना के 4439(E) Date- 17.07.2023 एवं जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक- 536 दिनांक- 18.07.2023 के अलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC No- 9941/2022 Date- 06.07.2023 को पारित आदेश का अनुपालन अनिवार्य होगा।

4

- (ख) असाधारण असंतुलित दर (Serious Unbalanced Rate) उद्धृत करने पर अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3376 (E) दिनांक-17.08.2010 के एकरारनामा के समय अतिरिक्त Performance गारंटी (Additional Performance Guarantee) देना होगा।
33. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
34. **निविदा निष्पादन**
- (1) यदि निविदा की कंडिका संख्या-29 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा।
- (2) सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवेदनकतानुसार दर वार्ता के उपरांत स्वीकार की जाएगी।
- (3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर समान होने पर बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 163 में प्रवधान के अनुरूप लॉटरी (ड्रा ऑफ लॉटरी) के आधार पर सफल निविदादाताओं का चयन किया जाएगा, साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।
35. **एकरारनामा**
- (क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 14 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के क्रमशः F2 पर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करना होगा।
- (ख) एकरारनामा करने के उपरांत मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।
- (ग) अविलंब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचना पट्ट उसकी आकार-प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।
36. **अन्य शर्तें**
- (क) निविदा के निर्धारित अवधि के अंतर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। कार्य पूर्ण करने में अनावश्यक विलम्ब पर भुगतान में अनुमान्य कटौती की जायेगी।
- (ख) प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।
- (ग) यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अंग होगा।
37. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनके कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 6 माह होगी, तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जायेगी।
38. **E-Tendering** में कार्यालय द्वारा Download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।
39. संवेदक सभी मूल कागजातों को स्कैन पर अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमबद्ध करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रत्येक M.S Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Formate में ही Upload document के Download/Open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
40. बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदर्श के तहत जी0एस0टी0/स्वामित्व/मालिकाना फीस की कटौती किया जायेगा।
41. सभी तरह का शपथ पत्र निविदा निर्गत होने की तिथि के बाद का ही मान्य होगा अन्यथा संवेदक को तकनीकी रूप से अयोग्य कर दिया जायेगा।
42. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए जिला अभियंता जिला परिषद बेगूसराय से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
43. यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website- eproc2.bihar.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
44. निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर Tenders Section में उपलब्ध है, जिसे सिर्फ वेबसाइट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।


जिला अभियंता,
जिला परिषद, बेगूसराय।